IN THE COURT OF PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT, SIWAN

Maintenance Case No.-127/2020

पीठासीन पदाधिकारी– **मनोज कुमार (द्वितीय)**,
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सिवान।

सुगान्ती देवी ––––––आवेदिका
बनाम
शनि प्रताप भगत–––––विपक्षी

Sr. No.	Date	Order with signature of the Court	Office Action/s taken with Date
	23-04-2026	आवेदिका की ओर से कोई पैरवी नहीं है और बारम्बार पुकार पर भी आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि, प्रस्तुत वाद आवेदिका के द्वारा दिनांक 22.12.2020 को दाखिल किया गया था तथा आवेदिका को आदेशित किया गया है कि वह अपने वाद में एकपक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत करे परन्तु न्यायालय द्वारा बार–बार यह निर्देश दिये जाने के बावजूद भी आवेदिका न तो सदेह उपस्थित होती है और न ही उसकी ओर से एकपक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि, आवेदिका को बार–बार निर्देशित किया जा रहा है परन्तु उसके बाद भी आवेदिका न तो उपस्थित होती है और न ही उनकी ओर से कोई भी उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाती हैं और न ही न्यायालय के आदेश का पालन करती है। आवेदिका लगातार अनुपस्थित रह रही है और आवेदिका आज भी अनुपस्थित हैं। उपरोक्त विवेचन एवं आवेदिका के निरंतर अनुपस्थिति से यह स्पष्ट है कि, उसे वाद में रूचि नहीं रह गई है। अतैव प्रस्तुत वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। लेखापित प्रधान न्यायाधीश, सिवान।	